राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः–एफ–7(4)यूजीसी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक :– 02-11-2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–(1) **Orientation/Induction/Refresher/Short-term Courses** करने हेतु **ऑनलाइन मोड की स्वीकृति ।**

(2) **Orientation/Induction Course की समतुल्यता के सम्बन्ध में।**

संदर्भः–(I) UGC का अर्द्धशासकीय पत्रांक No. F.2–16/2002 (PS) Pt. FL II दिनांक 03.12.2018

(II) UGC का अर्द्धशासकीय पत्रांक No. F.12–12/2020 (HRDC) दिनांक 01.07. 2020

(III) MHRD का अर्द्धशासकीय पत्रांक F.No. 1-62/2016-PN-II दिनांक 19.10.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक/सह आचार्यों/व्याख्याताओं के द्वारा सीएएस (CAS) के लाभ हेतु किये गये **Induction Course** को **Orientation Course** के समतुल्य माना जायेगा ।

सीएएस (CAS) के लाभ हेतु आवश्यक **Orientation/Induction/Refresher/Short-term Courses** को निम्नानुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. **Orientation/Induction/Refresher/Short-term Courses** को ऑनलाइन मोड से भी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
2. ऑनलाइन (वीडियो मोड) **MOOCs प्लैटफॉम SWAYAM – ARPIT** के तहत् चालीस घण्टे का **Course** करने हेतु सहायक/सह आचार्यों/व्याख्याताओं को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा, अपितु परीक्षा की दिनांक को मात्र एक दिवस का कर्त्तव्य अवकाश (Duty Leave) देय होगा ।
3. ऑनलाइन (लाइव मोड) के द्वारा **Orientation/Induction/Refresher/Short-term Courses** को करने हेतु, पूर्व में इन **Courses** को ऑफलाइन मोड में किये जाने हेतु दिये जाने वाले अवकाश के समान, उक्त अवधि का कर्त्तव्य अवकाश (Duty Leave) देय होगा ।

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमांकः–एफ–7(4)यूजीसी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक :– 02-11-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी एमआर संख्या 1070 दिनांक 20.10.2020 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक (एचआरडी/अकादमिक/प्रशासन/निजी संस्थाएं/रूसा/आयोजना/आरवीआरईएस), कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
6. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
7. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

2.10.20

(जी0के0 सोनी)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।